प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 90/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

ट्राई ने ''राष्ट्रीय प्रसारण नीति'' को तैयार करने के लिए इनपुट पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, **21 सितंबर**, **2023**: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज ''राष्ट्रीय प्रसारण नीति'' को तैयार करने के लिए इनपुट पर एक पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया।

2. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने दिनांक 13 जुलाई 2023 के पत्र के द्वारा राष्ट्रीय प्रसारण नीति तैयार करने के लिए ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत ट्राई से सुविचारित इनपुट देने का अनुरोध किया है ।

3. अपने पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने कहा है कि प्रसारण नीति को एक कार्यात्मक, जीवंत और लचीले प्रसारण क्षेत्र के दृष्टिकोण की पहचान करने वाला होना चाहिए जो भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रस्तुत कर सके और भारत को डिजिटल एवं सशक्त अर्थव्यवस्था में बदलने में मदद कर सके। राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संभावनाओं और इंटरसेक्शन के आलोक में, विजन, मिशन, कार्यनीतियों और कार्य बिंदुओं को निर्धारित करने वाली एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति नए युग और उभरती प्रौद्योगिकियों के दौर में देश में प्रसारण क्षेत्र के सही विकास और विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

4. इस पृष्ठभूमि के साथ, "राष्ट्रीय प्रसारण नीति" को तैयार के लिए विचार योग्य आवश्यक मुद्दों को जानने के लिए सभी हितधारकों के साथ पूर्व-परामर्श किया जा रहा है। पूर्व-परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 10 अक्टूबर 2023 तक मांगी गई हैं। टिप्पणियां, अधिमानत: इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस) से टेलीफोन नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

(**वी. रघुनंदन**)
सचिव, **ट्राई**